न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 88/2017 दायरा दिनांक : 13.06.2017

उनवान

1— बाबूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री मथुरालाल, जाति मीणा, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2— कमलेश आयु 42 वर्ष पत्नी पुष्पदयाल, जाति मीणा, निवासी चुरेलियां, तहसील बांरा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— लितरू पुत्र रामलाल, जाति सहरिया, निवासी तलावडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

2— इन्दर पुत्र घासी, जाति सहरिया, निवासी तलावडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

3— हीरोबाई पुत्री कालू उर्फ कलुआ, जाति सहरिया, निवासी पेनावदा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

4— कैलाशी पुत्री घासी, जाति सहरिया, निवासी तलावडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

5— बनवारी पुत्र मांगीलाल, जाति सहरिया, निवासी तलावडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

6— रघुवीर पुत्र मांगीलाल, जाति सहरिया, निवासी तलावडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

7— राजमल पुत्र पूरम, जाति सहरिया, निवासी तलावडा, तहसील किशनगंज, जिला बारां

8— राजकुमार पुत्र नाथूलाल, जाति महाजन, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

9— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 03/2015 निर्णय दिनांक 12.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने अपीलांटगण एवं रेस्पोडेंट नम्बर 5 लगायत 6 एवं अन्य ने एक एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पीपलखेड़ी, तहसील शाहबाद में खसरा नम्बर 60 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 283 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 4 बिस्वा कुल 4 किता कुल रकबा 39 बीघा 16 बिस्वा भूमि कलुआ वल्द फूसा जाति सहर, निवासी तलावडा, तहसील किशनगंज के नाम स्थित थी । कलुआ के फौत होने पर उनके पुत्र मांगीलाल व पूरब पुत्र तथा बेवा मथुरी के नाम राजस्व अभियान केम्प बाल्दा में खाते दर्ज की गई । विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामे से दिनांक 30.06.1989 को बाबूलाल पुत्र मथुरालाल मीणा अपीलांट क्रम 1 ने 87560/– रूपये लेकर बेचान कर दी, जो इन्तकाल नम्बर 128 ग्राम पीपलखेड़ी दिनांक 17.05.1990 को रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर अपीलांट क्रम 1 के नाम खाते दर्ज हो गई । तब से वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त में चली आ रही है । अपीलांट क्रम 1 ने खसरा नम्बर 283 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि अपीलांट क्रम 2 के नाम रजिस्टर्ड बेचाननामे से बेचान कर दी जो दिनांक 04.07.2005

को 120000/– रूपये में बेचान कर दी गई जो इंतकाल नम्बर 729 दिनांक 05.10.2005 से अपीलांट क्रम 2 के नाम खाते दर्ज हो गई तथा उक्त भूमि उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा वर्ष 2005 में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 5 लगायत 9 के विरूद्ध पेश किया जिसमें यह बताया कि रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 भी कलुआ के वारिसान हैं जो घासी व रामलाल के पुत्र हैं तथा घासी व रामलाला का पिता कलुआ था तथा बिना हमे सुने कलुआ के फौत होने पर यह भूमि मात्र उसके दो पुत्र मांगीलाल व पूरम तथा बेवा मथुरी बताकर उनके नाम दर्ज कर दी गई तथा उन्होंने वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामे से अपीलांट क्रम 1 के नाम बेचान कर दी इस कारण इन दोनों बेचाननामों को शून्य घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट की खातेदारी में दर्ज की जावे । रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसमें यह कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर ता फैसला तहसीलदार शाहबाद को रिसीवर नियुक्त किया जावे एवं अपने प्रार्थना पत्र में यह कहा कि बाबूलाल पुत्र मथुरा लाल मीणा नाम का व्यक्ति केलवाडा में नहीं रहता है तथा जो विक्रय पत्र बाबूलाल के पक्ष में किया गया है वह सर्वथा फर्जी व बनावटी है क्योंकि बाबूलाल एक काल्पनिक व्यक्ति है एवं उसने 10 बीघा भूमि कमलेश के नाम बेचान कर दी है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मीडियो है और वादग्रस्त आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उपरोक्त आराजी पर तहसीलदार को रिसीवर कायम किया है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अपीलांट उक्त आराजी के सद्भावी क्रेता हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि हमारे द्वारा उपरोक्त जमीन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गई है । अतः हम उपरोक्त विवादित आराजी के सद्भावी क्रेता हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रिसीवरी कायम करने का आदेश दिया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 2007(2) आर जे पेज 1239, आर आर डी मार्च 2005 पेज 183, आर आर डी जनवरी 2002 पेज 22, आर आर डी फरवरी 2004 पेज 74 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी रेस्पोडेंट के पिता कलुआ वल्द फूसा के नाम दर्ज थी अर्थात् पैतृक थी तथा उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजी मांगीलाल, पूरब तथा उनकी बेवा मथुरी के नाम दर्ज कर दी गई । जबकि कलुआ वल्द फूसा के मांगी लाल एवं पूरब के अतिरिक्त दो पुत्र एवं एक पुत्री और थी । अतः उपरोक्त आराजी में हमारा जन्म से ही अधिकार निहित है । उपरोक्त आराजी का बेचान मांगीलाल व पूरब तथा मथुरी द्वारा जो अपीलांट संख्या 1 को किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है । क्योंकि हम सहरिया जाति के हैं एवं अपीलांट मीणा जाति के हैं । अपीलांट का उपरोक्त आराजी पर कब्जा नहीं है तथा हस्तानान्तरण बेनामी है । पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार भी मौके पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमारे द्वारा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिसके अनुसार उपरोक्त विवादित आराजी काल्या पुत्र फूसा की थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् मांगीलाल, पूरब पुत्र कलुआ व मथुरी बेवा कलुआ के नाम दर्ज हुई, जो कि सहरिया जाति के हैं । उनके

द्वारा उक्त आराजी का बेचान अपीलांट संख्या 1 बाबूलाल वल्द मथुरा लाल जाति मीणा को किया गया । क्या सहरिया जाति के व्यक्ति द्वारा मीणा जाति के व्यक्ति को बेचान किया जा सकता है । इसका निर्णय दावे में साक्ष्य एवं विधिक प्रावधानों के तहत ही किया जा सकेगा । पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा नहीं है तथा पटवारी के अनुसार भी उपरोक्त आराजी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुनाफा काश्त पर देना बताया गया है अर्थात् क्या विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है अथवा नहीं ? क्या उपरोक्त हस्तान्तरण बेनामी है ? इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में इसका निर्णय भी किया जाना है कि क्या रेस्पोडेंट जो कि रामलाल एवं घासी के वारिसान हैं उनका उक्त आराजी में अधिकार है अथवा नहीं । इन सभी तथ्यों का निर्णय वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य, दस्तावेज एवं कानूनी प्रावधानों के अर्न्तगत ही किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया दस्तावेजों के अध्ययन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह उचित है एवं आगामी अन्य विवादों की संभावना को भी रोकता है । अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा